सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2017 / 00145 दर्ज तिथिः–12.07.2017

1. करनाराम पुत्र मंगलाराम
2. उमेदाराम पुत्र करनाराम
3. केसरीमल पुत्र करनाराम
   जाति विश्नोई निवासी जीवाणियों की ढाणी बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

......................वादी

बनाम

1. भैरसिंह पुत्र जगसिंह
2. सांवलसिंह पुत्र जगसिंह
   जाति राजपूत निवासी जीवाणियों की ढाणी बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

..............असल प्रतिवादीगण

3. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी
4. तहसीलदार गुड़ामालानी

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री बाबुलाल विश्नोई
प्रतिवादीगणः–श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–06.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 678 / 57.04 बीघा मौजा जीवाणियों की ढाणी तहसील

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:55 IST
Reason: SelfAttested

गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जरिये असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर सीधे बहस कर निवेदन किया गया कि वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादीगण की आराजी भी पृथक की जावे। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा दौरान–ए–बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19.03.2021 को जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/241 दिनांक 03.02.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। साथ ही उभपक्षकारान द्वारा हाजिर न्यायालय होकर राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 678 के सेढासेढ प्रस्तावित रास्ता को बिन्दु संख्या ए से बी तक 03 गट्ठा चौड़ाई में किया जावे। साथ ही रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई आराजी के पश्चात् शेष रकबा वादीगण हेतु 5.9004 है0, प्रतिवादीगण हेतु प्रस्तावित रकबा 2.9502 है0 एवं रास्ता हेतु प्रस्तावित रकबा 0.4086 है0 रहेगा। अंत में उभपक्षकारान द्वारा उक्तानुसार राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/241 दिनांक 03.02.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:55 IST
Reason: SelfAttested

21ण च्तमचंतंजपवद व िउंच ंदक कमउंतबंजपवद व िनइ. कपअपकमक पिमसकेण *. जीम ज्मीपसकंत ैंसस चतमचंतम ंदक चसंबम वद तमबवतक उंच ैवूपदह पद कपमितमदज बवसवनते जीम चसवजे हपअमद जव मंबी चंतजलए ंदक पि ंदल पिमसक ैं इममद `नइ.कपअपकमकए ैम ैंसस कमउंतबंजम जीम चवतजपवद ंज जीम मगचमदेम व िजीम चंतजपमेण*	प्रकरण में दिनांक 28.10.2024 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 969—973 दिनांक 24.10.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 28.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 969—973 दिनांक 24.10.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 28.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072—2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 678/57.04 बीघा मौजा जीवाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति एवं उभपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 678 के सेढासेढ प्रस्तावित रास्ता को बिन्दु संख्या ए से बी तक 03 गट्ठा चौड़ाई में रास्ता दिये जाने एवं साथ ही रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई आराजी के पश्चात् शेष रकबा वादीगण हेतु 5.9004 है0, प्रतिवादीगण हेतु प्रस्तावित रकबा 2.9502 है0 एवं रास्ता हेतु प्रस्तावित रकबा 0.4086 है0 के अनुसार उभपक्षकारान के मध्य हुई सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:55 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार हैः—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह—काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलनः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय— अपूरणीय क्षतिः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 678/57.04 बीघा मौजा जीवाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान् के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:55 IST
Reason: SelfAttested

हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
करनाराम पुत्र मंगलाराम हि0 1/2 उमेदाराम पुत्र करनाराम हि0 1/4 केसरीमल पुत्र करनाराम हि0 1/4 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन–केसरीमल का हिस्सा एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	जीवाणियों की ढाणी	678	5.9004	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 5.9004 है0				
भैरसिंह पुत्र जगसिंह हि0 1/2 सांलसिंह पुत्र जगसिंह हि0 1/2 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार रहन–एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	जीवाणियों की ढाणी	678	2.9502	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.9502 है0				
राजस्थान सरकार	जीवाणियों की ढाणी	678	0.4086	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.4086 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2017/00145 दर्ज तिथिः–12.07.2017

1. करनाराम पुत्र मंगलाराम
2. उमेदाराम पुत्र करनाराम
3. केसरीमल पुत्र करनाराम
   जाति विश्नोई निवासी जीवाणियों की ढाणी बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

......................वादी

बनाम

1. भैरसिंह पुत्र जगसिंह
2. सांवलसिंह पुत्र जगसिंह
   जाति राजपूत निवासी जीवाणियों की ढाणी बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

..............असल प्रतिवादीगण

3. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी
4. तहसीलदार गुड़ामालानी

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री बाबुलाल विश्नोई
प्रतिवादीगणः–श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

–ःपर्चा डिक्रीः–

दावा वादी अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 678/57.04 बीघा मौजा जीवाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:55 IST
Reason: SelfAttested

हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
करनाराम पुत्र मंगलाराम हि0 1/2 उमेदाराम पुत्र करनाराम हि0 1/4 केसरीमल पुत्र करनाराम हि0 1/4 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन–केसरीमल का हिस्सा एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	जीवाणियों की ढाणी	678	5.9004	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 5.9004 है0				
भैरसिंह पुत्र जगसिंह हि0 1/2 सांलसिंह पुत्र जगसिंह हि0 1/2 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार रहन–एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	जीवाणियों की ढाणी	678	2.9502	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.9502 है0				
राजस्थान सरकार	जीवाणियों की ढाणी	678	0.4086	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.4086 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 06.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:55 IST
Reason: SelfAttested